

[ Authorised English Translation ]

**HARYANA GOVERNMENT**  
**FORESTS DEPARTMENT****Notification**

The 10th December, 2004

**No. S.O. 269/C.A. 53/1972/S. 26-A/2004.**—Whereas, the area specified below comprises within the reserve forest;

And whereas the said area is considered by the State Government to be of adequate ecological, faunal, floral, geomorphological, natural and zoological significance, for the purpose of propagating and developing wild life and its environment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 26-A of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Governor of Haryana hereby declares the area specified below to be a sanctuary, for the purpose of protecting, propagating and developing wild life and its environment from the date of issue of this notification in the Official Gazette :—

**Specification**

District	Tehsil	Name of Forest	Area in hectares	Boundaries
1	2	3	4	5
Panchkula	Panchkula	R-70 Khol-Hi Raitan	2226.58	North : DP No. 247 and DP No. 248 Burjtanda, Kotia Ambwala and Village Jallan.  South: Village Naggal, Nandla and Asrewali protected forests.  East :Muradwala Bhojmattor and Mandhana Villages, Protected forests C-104 and C-107.  West : Gumthala, Ghaggar river, Chandimandir, Chowki and Village Nada.

---

**Total area : 2226.58 hectare**

---

L.S.M. SALINS,  
Financial Commissioner and Principal  
Secretary to Government Haryana, Forests Department.

भाग-III

हरियाणा सरकार

वन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 10 दिसम्बर, 2004

संख्या का. आ. 269/के. अ. 53/1972/घा. 26-क/2004.—चूंकि, नीचे विनिर्दिष्ट क्षेत्र आरक्षित वन के भीतर समाविष्ट है; और चूंकि उक्त क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा वन्य प्राणी और इसके पर्यावरण के परिरक्षण, फैलाव और विकास के प्रयोजन के लिए, पारिस्थितिक, जीव जन्तु, वनस्पति, भू-आकृति विज्ञान, प्राकृतिक और जीव विज्ञान सम्बन्धी पर्याप्त महत्व का समझा जाता है; इसलिये, अब, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का अधिनियम 53), की धारा 26-क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, वन्य प्राणी और इसके पर्यावरण के संरक्षण, फैलाव और विकास के प्रयोजन के लिये नीचे विनिर्दिष्ट क्षेत्र को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से अभयारण्य के रूप में घोषित करते हैं :—

विशिष्ट

जिला	तहसील	वन का नाम	हेक्टेयर में क्षेत्र	सीमाएं
1	2	3	4	5
पंचकुला	पंचकुला	आर-70 खोल ही रायतान	2226.58	उत्तर - डी. पी. नं. 247 व 248 तथा गांव बुर्जटाण्डा, कोटिया आम्बवाला व गांव जल्ला का रकबा  दक्षिण - गांव नग्गल का रकबा और नांदला व आसरेवाली प्रोटेक्टिड फॉरेस्ट  पूर्व - मुरादवाला, भोजमटोर माधना गांव का रकबा व प्रोटेक्टिड फॉरेस्ट का सी-104 व सी-107  पश्चिम - गुमथला, घग्गर नदी, घण्डीमन्दिर, चौकी और नाडा गांव का रकबा
		कुल क्षेत्र	: 2226.58 हेक्टेयर	

एल. एस. एम. सालिन्स,  
वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
वन विभाग।

भाग III

हरियाणा सरकार

वन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 7 सितम्बर, 2007

संख्या का०आ० 71/के०अ० 53/1972/घा०26 क/2007.—चूंकि, राज्य सरकार नीचे विनिर्दिष्ट क्षेत्र को वन्य जीव और इसके पर्यावरण के संरक्षण, फैलाव और विकास के प्रयोजन के लिए पारिस्थितिक, जीव जन्तु, वनस्पति, भू-आकृति विज्ञान, प्राकृतिक और प्राणी-विज्ञान सम्बन्धी पर्याप्त महत्व का समझती है ;

इसलिये, अब, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का अधिनियम 53), की धारा 26 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, वन विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 270/के०अ० 53/1972/घा० 18/2004, दिनांक 10 दिसम्बर, 2004, के प्रति निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, वन्य जीव और इसके पर्यावरण के संरक्षण, फैलाव और विकास के प्रयोजन के लिए नीचे विनिर्दिष्ट क्षेत्र को राजपत्र में इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से अभयारण्य के रूप में घोषित करते हैं :-

विशिष्टियां

जिला	तहसील	वन का नाम	क्षेत्र हैक्टेयर में	सीमाएं
1	2	3	4	5
पंचकूला	कालका	डी.पी. 247 बांसघाटी	94.70	उत्तर : गांव बुर्जटाण्डा, कोटिया, आम्बवाला तथा जत्ता की भूमि।
		डी.पी. 248 बुर्ज-बांसघाटी (कोटिया)	62.73	
		डी.पी. 249 गुमथला	12.14	दक्षिण : नग्गल, आसरेवाली, बेलवाली, मवास तथा खेतपरला गांव की भूमि।
पंचकूला	डी.पी. 250 चौकी	102.79		
	डी.पी. 251 नाडा	82.56	पूर्व : मुरादबाला, भोजमटोरे, मांघना, दधगढ़ तथा फिराजपुर गांव की भूमि।	
	हदबस्त संख्या 227 नांदला	617.55		
	हदबस्त संख्या 226 आसरेवाली	677.85	पश्चिम : गुमथला, घग्गर नदी, चण्डीमन्दिर, चौकी तथा नाडा गांव की भूमि।	
	सी. 95 भोज पलासरा	122.22		
	सी. 96 भोज पलासरा	158.66		

1	2	3	4	5
	सी. 97 भोज पलासरा	133.53		
	सी. 103 भोजमट्टोर	237.94		
	सी. 104 भोजमट्टोर	83.37		
	सी. 105 भोजमट्टोर	83.37		
	सी. 106 भोजमट्टोर	84.75		
	सी. 107 भोजमट्टोर	122.22		
		<u>2856.38</u>		
	कुल क्षेत्र : 2856.38 हेक्टेयर			

एच०सी० दिसोदिया,  
वित्त एवं प्रधानी साचिव, हारयाणा सरकार,  
वन विभाग।

[Authorized & Certified English Translation]

## HARYANA GOVERNMENT

### FOREST DEPARTMENT

#### Notification

The 7th September, 2007

**No. S.O. 71/C.A. 53/1972/S. 26 A/ 2007.**— Whereas, the area specified below is considered by the State Government to be adequate ecological, faunal, floral, geomorphological, natural and zoological significance for the purpose of protecting, propagating and developing wildlife and its environment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 26 A of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (Act 53 of 1972), and with reference to Haryana Government, Forest Department, Notification No. S.O. 270/C.A. 53/1972/S. 18/2004, dated the 10th December, 2004, the Governor of Haryana hereby declares, the area specified below, to be a sanctuary for the purpose of

protecting, promoting, propagating and developing wild life and its environment from the date of issue of this notification in the Official Gazette: —

**Specifications**

District	Tehsil	Name of Forests	Area in Hectares	Boundaries
1	2	3	4	5
Panchkula	Kalka	DP 247 Bansghati	94.70	North: Land of Village Burjtanda, Kotia, Ambwala and Jalian. South: Land of Village Naggal, Asrewali, Belwali Mawas and Khetprali
		DP 248 Burj Bansghati (Kotian)	62.73	
		DP 249 Gumthala	12.14	
		Panchkula DP 250 Chowki	102.79	
	Panchkula	DP 251 Nada	82.56	East: Land of village Muradwala, Bhojmattor, Mandhana, Dudhgarh and Ferozepur.
		Hadbast No. 227 Nandla	617.55	
		Hadbast No. 226 Asrewali	677.85	
		C-95 Bhojplasma	122.22	West: Land of village Gumthala, Ghaggar river, Chandimandir, Chowki and Nada
		C-96 Bhojplasma	158.66	
		C-97 Bhojplasma	133.53	
		C-103 Bhojmattor	237.94	
		C-104 Bhojmattor	83.37	
		C-105 Bhojmattor	83.37	
		C-106 Bhojmattor	64.75	
		C-107 Bhojmattor	122.22	
			<b>2656.38</b>	
		<b>Total area: 2656.38 hectare</b>		

H.C. DISODIA,  
Financial Commissioner and Principal Secretary to  
Government, Haryana, Forest Department.